प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर

प्र. ई. रि. स. – 85/2023 दिनांक – 13/4/2023

2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7

(ब) अधिनियम – ..... धाराये – .....

(स) अधिनियम – ..... धाराये – .....

(द) अन्य अधिनियम – ..... धाराये – .....

3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 240 समय – 6:45 P.M.

ब. अपराध के घटने का दिन – बुधवार, दिनांक – 12.04.2023 समय – 03.57 पी.एम.

स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 10.04.2023 समय – 03.00 पी.एम.

4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – टाईपशुदा।

5. घटना स्थल –

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख पूर्व 80 किलोमीटर लगभग

(ब) पता:– पुलिस थाना बिलाड़ा

बीट संख्या जरायमदेही संख्या

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो

पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सह परिवादी का नाम

1. (अ) नाम – श्री पिन्टु (ब) पिता/पति/अभिभावक का नाम – श्री मुकेश

(स) जन्म तिथि/वर्ष – 19 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय

(य) व्यवसाय – मजदुरी (र) पता – गांव पिचियाक जसवन्तपुरा रोड़ तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–

1. श्री श्री रामकिशन विश्नोई पुत्र श्री गुडूराम विश्नोई उम्र 57 वर्ष जाति विश्नोई पेशा नौकरी निवासी ग्राम ठाडिया, तहसील सेखाला, पुलिस थाना चामु जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना बिलाड़ा जिला जोधपुर ग्रामीण

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नही

9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य

10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– **रिश्वत राशि 7,000/– रू.**

11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)..... कोई नहीं.....

12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट.....

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
(स्पेशल यूनिट) जोधपुर

विषयः– रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथों पकड़वाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं पिन्टू अभिभावक श्री मुकेश जाति साटीया उम्र 19 वर्ष निवासी गांव पिचयाक जसवन्तपुरा रोड़ तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर का रहने वाला हूं। करीब एक माह पहले पुलिस थाना बिलाड़ा से मेरे घर पर पुलिस स्टाफ आये थे। जिन्होने कहा कि मालकोसनी से भैंसे चोरी हो गई है एवं मेरी पहचान उनके साथ आये एक व्यक्ति से करवाई थी। जिसने मेरे पर कोई आरोप नहीं लगाया व पुलिस वापस चली गई। फिर आज से तीन–चार दिन पहले पुलिस थाना से श्री रामाकिशन सउनि ने मेरे भाई व मुझे व मेरे पूरे परिवार को पुलिस थाने बुलाया व हमारे नाम पते नोट किये थे। दिनांक 08.04.2023 को श्री रामाकिशन सउनि. ने मेरे भाई मुकेश को फोन कर हम दोनों को पुलिस थाने बुलाया व कहा कि भैसे चोरी के आरोप में तुम्हें जेल कर देंगे बचना हो तो 15000/–रूपये की व्यवस्था कर लो एक दो दिन में 15000/–रूपये लेकर आ जाना तुम दोनों को फ्री कर देंगे। फिर रात को मेरे पास श्री रामाकिशन सउनि. ने फोन किया कि पैसे लेकर अभी तक आया नहीं दो दिन में नहीं आया तो झूठा ही तुम्हें फसाकर गिरफ्तार कर लेंगे। श्रीमान जी मैंने किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं की कोई चोरी नहीं की है। श्री रामाकिशन सउनि मुझसे पैसे की मांग कर रहा है व पैसे नहीं देने पर चोरी के आरोपी में झूठा फंसाने की धमकी दे रहा है। मैं रामाकिशन को 15,000/–रूपये रिश्वत की राशि नहीं देना चाहता हूँ बल्कि रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूं। मेरे श्री रामाकिशन सउनि से कोई व्यक्तिगत दुशमनी नहीं है और ना ही किसी प्रकार को लेन–देन बकाया नहीं हैं, अतः रिपोर्ट पेश कर रहा हू कानूनी कार्यवाही करावें। रिपोर्ट के साथ मेरे आधार कार्ड की फोटो प्रति दे रहा हूं।

दिनांक 10.04.2023

एसडी/सुरेन्द्रसिंह एसडी/तेजसिंह कोली

एसडी/मनीष वैष्णव

भवदीय
एसडी/
(पिन्टु)
पिन्टु अभिभावक श्री मुकेश जाति साटिया
निवासी गांव पिचायक जसवन्तपुरा रोड़ तहसील
बिलाड़ा जिला जोधपुर
मोबाईल नम्बर– 7976187897

<u>कार्यवाही पुलिस</u> <u>दिनांक 10.04.2023</u> <u>समय 03.00 पी.एम.</u>

इस समय परिवादी श्री पिन्टु अभिभावक श्री मुकेश जाति साटिया उम्र 19 वर्ष निवासी गांव पिचियाक जसवन्तपुरा रोड तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर कार्यालय उपस्थित हो उपरोक्त टाईपशूदा रिपोर्ट पेश की' रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जाने से अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

एसडी/
पिन्टु

एसडी/
(दुर्ग सिंह राजपुरोहित)
अति.पुलिस अधीक्षक
10.04.2023

दिनांक 10.04.2023 को वक्त 03.15 पी.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री प्रकाश कानि. नं. 265 को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर कार्यालय की अलमारी से निकलवाकर परिवादी श्री पिन्टु को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाईश की गई तथा श्री प्रकाश कानि. नं. 265 का परिवादी श्री पिन्टु का आपस में परस्पर परिचय करवाया गया व श्री प्रकाश कानि. नं. 265 व परिवादी श्री पिन्टु के मोबाईल नम्बर आपस में आदान–प्रदान करवाये गये। तत्पश्चात वक्त 03.25 पी.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित कर श्री प्रकाश कानि. नं. 265 को सुपर्द कर परिवादी श्री पिन्टु व आरोपी श्री रामाकिशन सहायक उप निरीक्षक पुलिस के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाकर लानें हेतु परिवादी के निजी वाहन से बिलाड़ा की तरफ रवाना किया गया। वक्त 06.05 पी.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री प्रकाश कानि. नं. 265 ने फोन कर बताया कि परिवादी श्री पिन्टु के बतायेनुसार परिवारी पिन्टु व संदिग्ध अधिकारी श्री रामा किशन सहायक उप निरीक्षक पुलिस से रिश्वति राशि मांग के कम में वार्ता हो गई है। परिवादी के बतायेनुसार संदिग्ध अधिकारी ने परिवादी पिन्टु से 7000/–रूपये की मांग की है जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानिस्टेबल को निर्देशित किया गया कि डिजीटल वॉयस रिकार्डर को सुरक्षित रखे। परिवादी को वही रूखस्त करते हुए निर्देशित करें कि आरोपी अधिकारी को दी जाने की रिश्वति राशि 7000/–रूपये की व्यवस्था कर कल दिनांक 11.04.2023 को प्रातः 09.30 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय स्पेशल युनिट जोधपुर पर उपस्थित आयें। तत्पश्चात् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही करने हेतु मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस को जरिये फोन दिनांक 11.04.2023 को प्रातः 09.30 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय स्पेशल युनिट जोधपुर पर मय श्री छैलाराम कानि. 46, श्री भूरसिंह कानि. नं. 23 के चौकी जोधपुर शहर का ट्रेप बॉक्स मय समस्त सामग्री साथ लेकर आने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने के कारण जरिये टेलीफोन सहायक अभियन्ता ए–3 जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर को दो कार्मिक गोपनीय कार्यवाही हेतु कल दिनांक 11.04.2023 को प्रातः 9.30 ए.एम. पर स्पेशल युनिट ब्यूरो कार्यालय में भिजवाने हेतु पाबन्द किया गया। सहायक अभियन्ता के नाम तहरीर पृथक से जारी की गई। तत्पश्चात वक्त 09.10 पी.एम. पर कानि. श्री प्रकाश नं. 265 रिश्वति राशि मांग सत्यापन के लिये परिवादी के साथ बिलाड़ा गया हुआ था जो निर्देशानुसार परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कल कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत कर बाद रिश्वति राशि मांग सत्यापन के कार्यालय में उपस्थित आया एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑफ शुदा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं व परिवादी श्री पिन्टु परिवादी के निजी वाहन से कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना बिलाड़ा के पास पहुंचे। जहां पर मैंने परिवादी श्री पिन्टु को आवश्यक हिदायत देकर साथ लाये कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर का स्वीच ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु बिलाड़ा थाने के लिये रवाना किया। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री पिन्टु पुनः मेरे पास आया जिस पर मैंने पूर्व में उनको सुपुर्द किया गया कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर उसको स्वीच ऑफ कर मन् कानि. ने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री पिन्टु ने बताया कि "मैं आपके पास से रवाना होकर पुलिस थाना बिलाड़ा के अन्दर गया। जहां पर थाना परिसर के पीछे की तरफ मुझे श्री रामाकिशन सहायक उप निरीक्षक पुलिस मिला। जिनसे मेरी बिलाड़ा थाने में दर्ज भैस चोरी के मुकदमें के सम्बन्ध में वार्ता हुई। दौराने वार्ता श्री रामाकिशन सहायक उप निरीक्षक पुलिस ने प्रकरण में मुझे पुलिस द्वारा परेशान नहीं करने व प्रकरण का निपटारा करने की ऐवज में 7000/–रूपये की मांग की है। कल दिनांक 11.04.2023 को रिश्वति राशि लेकर थाने बुलाया है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर परिवादी श्री पिन्टु व संदिग्ध अधिकारी श्री रामाकिशन सहायक उप निरीक्षक पुलिस के मध्य हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना तो 7000/–रूपये रिश्वति राशि मांग की पुष्टि हुई। दिनांक 11.04.2023 को वक्त 09.45 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्दुशदा मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस हमराह श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री भूरसिंह कानि. नं. 23 मय ट्रेप बॉक्स एवं समस्त सामग्री साथ लेकर उपस्थित ब्यूरो चौकी स्पेशल युनिट जोधपुर में उपस्थित आया। जिस पर श्रीमान एएसपी द्वारा मुझे बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराया। इसी दरम्यान परिवादी श्री पिन्टु उपस्थित आया। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री पिन्टु से मांग सत्यापन वार्तालाप के बारे में पुछने पर कानि. श्री प्रकाश के द्वारा बताये गये तथ्य व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिकार्डर से सुने गये तथ्यों की पुष्टि हुई। परिवादी ने बताया कि श्री रामाकिशन एएसआई द्वारा रिश्वत में मांगी गई राशि 7000/–रूपये की व्यवस्था कर मैं साथ लेकर आया हूं। जिस पर श्रीमान एएसपी द्वारा मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस व श्री पिन्टु का आपस में परिचय करवाकर परिवादी श्री पिन्टु द्वारा

दिनांक 10.04.2023 पेश की गई शिकायत मय संलग्न दस्तवेजात का मुझे अवलोकन करवाकर एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी श्री पिन्टु व आरोपी श्री रामाकिशन सहायक उप निरीक्षक पुलिस के मध्य हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है को मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री पिन्टु व परिवादी के प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तवेजात एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के कार्यालय में बने अन्य कक्ष में उपस्थित आया व परिवादी श्री पिन्टु से आवश्यक पुछताछ कर परिवादी श्री पिन्टु द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी श्री पिन्टु व आरोपी श्री रामाकिशन सहायक उप निरीक्षक पुलिस के मध्य हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वति राशि मांग की पुष्टि होना पाया गया। तत्पश्चात वक्त 10.15 ए.एम. पर कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–3 जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर से पूर्व से पाबन्दशुदा दो कार्मिक ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिन्हे मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो कार्मिको को अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना परिचय बारी–बारी से श्री तेजसिंह कोली पुत्र श्री मवासी राम जाति कोली उम्र 32 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम दारोदा तहसील कटूम्बर पुलिस थाना खेड़ली जिला अलवर हाल तकनीकी सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–3 डिस्कॉम जोधपुर व श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री मुलसिंह जाति राजपुत उम्र 42 वर्ष पेशा नौकरी निवासी प्लाट नं. 343 खसरा नं. 120 राम नगर नान्दड़ी जोधपुर हाल तकनीकी सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–3 डिस्कॉम जोधपुर होना बताया। जिस पर उक्त दोनो कार्मिको को बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाकर कार्यालय कक्ष में उपस्थित परिवादी श्री पिन्टु का आपसी परिचय दोनो कार्मिको से करवाया गया एवं परिवादी श्री पिन्टु द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाई गई तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढ़वायी गयी व कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी श्री पिन्टु व आरोपी श्री रामाकिशन सहायक उप निरीक्षक पुलिस के मध्य हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता जो रिकार्ड है उक्त वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश दोनो कार्मिको को सुनवाये गये। दोनो कार्मिको द्वारा परिवादी से उनके द्वारा प्रस्तुत शिकायत मे अंकित तथ्यों के बारे में पूछताछ कर एवं रिकार्ड वार्ता के मुख्य अंश सुनकर अग्रिम कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति दी। जिस पर परिवादी श्री पिन्टु की रिपोर्ट एवं दस्तावेजों पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपने अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात वक्त 10.30 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री तेजसिंह कोली व श्री सुरेन्द्रसिंह के रू–ब–रू एवं परिवादी श्री पिन्टु अभिभावक श्री मुकेश जाति साटिया उम्र 19 वर्ष निवासी गांव पिचयाक मुसलमानों का बास, जसवन्तपुरा रोड़ तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर ने आरोपी श्री रामाकिशन स.उ.नि. पुलिस थाना बिलाड़ा को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहा गया। जिस पर परिवादी पिन्टु ने भारतीय मुद्रा के पांच सौ–पांच सौ रूपयें के 14 नोट कुल राशि 7,000 रूपये पेश किये। परिवादी श्री पिन्टु द्वारा प्रस्तुत नोटों के नंबर फर्द पेशकशी में अंकित किये गये जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

1.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2BL 566405
2.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1RC 130995
3.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5UB 329970
4.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4QB 815662
5.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6ET 899616
6.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6VT 990206
7.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4PK 892050
8.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4PK 892051
9.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5BT 718942
10.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1GN 056627
11.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6NC 174549
12.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7HF 751572
13.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2LE 759106
14.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0EC 146730

श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर उपरोक्त राशि 7000/– रूपये के नोटों पर श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से नोटो को अखबार के उपर रखवाकर उन पर हल्का–हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री पिन्टु की

जामा तलाशी गवाह श्री सुरेन्द्रसिंह से लिवाई जाकर मोबाईल फोन परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 7000/–रूपये जो श्री रामाकिशन स.उ.नि. पुलिस थाना बिलाड़ा को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी श्री पिन्टु के पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में 500–500 रूपये के 14 नोट कुल राशि 7000/–रूपये को श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री पिन्टु को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में से निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर कर या मन् श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. 9530292476 पर रिश्वती राशि आदान–प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितान को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लाने वाली महिला कानि. श्रीमती सुशीला के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया–प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर नोटों पर पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। परिवादी श्री पिन्टु को छोडकर समस्त ब्यूरो टीम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हाथों को साबुन से साफ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने–अपने विभागीय परिचय–पत्र एवं अपने–अपने मोबाईल फोन पास रहने दिये गये। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा खर्चे के 2,000 रूपये अपने पास रखे। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब की गई। वक्त 11.00 ए.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री तेजसिंह कोली एवं श्री सुरेन्द्रसिंह, परिवादी श्री पिन्टु मय ब्यूरो जाब्ता श्री भुरसिंह कानि. नं. 23, श्री प्रकाश कानि. 265, श्री गणेश कुमार कानि. नं. 219, श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री अर्जुनसिंह कानि. नं. 319 सरकारी वाहन टवेरा नं. आरजे 14 युसी 8906 मय कानि. चालक श्री प्रेमसिंह व एक प्राईवेट वाहन के ट्रेप बॉक्स, आवश्यक सामग्री, कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर, लैपटॉप मय प्रिन्टर के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय भ्र.निब्यूरो जोधपुर से बिलाड़ा की तरफ रवाना होकर वक्त 12.35 पी.एम. पर ग्राम पिचीयाक से कुछ दुरी पहले एक ढाबे पर रूके जहां पर परिवादी ने पूर्व से अपनी मोटर साईकिल ढाबे पर रख रखी थी। जहा से मोटरसाईकिल लेकर कानि. श्री प्रकाश कार्यालय से साथ लाया डिजीटल वॉयस रिकार्डर आवश्यक हिदायत के साथ सुपुर्द कर परिवादी पिन्टु व कानि. श्री प्रकाश को परिवादी की मोटर साईकिल से बिलाड़ा पुलिस थाने की तरफ रवाना कर पीछे–पीछे मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के सरकारी व प्राईवेट वाहन से बिलाड़ा पुलिस थाने की तरफ रवाना हुए। पुलिस थाना से थोड़ा पहले रूककर परिवादी ने अपने स्तर पर गोपनीय तरीके से आरोपी श्री रामा किशन की उपस्थिति के बारे में मालुमात किया तो पता चला की पुलिस थाने पर कोई भगवैया का मामला हो जाने से भीड़ है व श्री रामाकिशन ज्यादा व्यस्त होने से आज मिलना सम्भव नहीं होगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर उस रोज ट्रेप कार्यवाही सम्भव नहीं होने से आईन्दा ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात परिवादी को पूर्व में दी गई रिश्वति राशि 7000/–रूपये गवाह श्री सुरेन्द्रसिंह से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब निकलवाकर सफेद लिफाफे में डलवाकर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखी। तत्पश्चात परिवादी श्री पिन्टु को आवश्यक हिदायत दी गई कि जब भी संदिग्ध अधिकारी आपसे टेलीफोनिक या रूबरू सम्पर्क करता या अन्य के मार्फत संदेश कर बुलाता है तो आप तुरन्त मन् निरीक्षक पुलिस या श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुचित करे। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन से

मय ट्रेप राशि एवं ट्रेप सामग्री के ब्यूरो चौकी जोधपुर के लिये रवाना होकर वक्त 02.30 पी.एम. पर ब्यूरो चौकी स्पेशल युनिट जोधपुर पहुंचे एवं ट्रेप बॉक्स व समस्त सामग्री सुरक्षित रखवाकर ट्रेप राशि रखा लिफाफा, डिजीटल वॉयस रिकार्डर एवं परिवादी की शिकायत की पत्रावली मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा ब्यूरो चौकी स्पेशल युनिट के कार्यालय के एक कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखकर ताला लगवाकर चाबी अपने पास सुरक्षित रखी। दिनांक 12.04.2023 को वक्त 12.20 पी.एम. पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्पेशल युनिट जोधपुर द्वारा मन् निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर निर्देशित किया की परिवादी श्री पिन्टु ने जरिये वाट्सअप वॉयस कॉल कर बताया कि श्री रामाकिशन स.उ.नि.पु. द्वारा पिचियाक में स्थित ई–मित्र चलाने वाले श्री दिनेश जो मेरे भी मिलने वाला है के मार्फत आज सांय तीन–चार बजे मिलने बुलाया है। अतः आज रिश्वति राशि प्राप्त कर सकता है। इसलिये आप टीम को सांय 4 बजे से पूर्व भिजवा दे तो कार्यवाही होने की सम्भावना है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं स्वतन्त्र गवाहान श्री तेजसिंह कोली व श्री सुरेन्द्रसिंह को ब्यूरो कार्यालय स्पेशल युनिट जोधपुर में तुरन्त उपस्थित आने हेतु जरिये फोन सुचित करने पर वक्त 02.00 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाह श्री तेजसिंह कोली व श्री सुरेन्द्रसिंह ब्यूरो कार्यालय स्पेशल युनिट जोधपुर उपस्थित आये। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू स्वतन्त्र गवाहान श्री तेजसिंह कोली एवं श्री सुरेन्द्रसिंह की उपस्थिति में गवाह श्री सुरेन्द्रसिंह को अलमारी की चाबी देकर अलमारी खुलवाकर अलमारी में रखे रिश्वति राशि का लिफाफा निकलवाया जाकर गवाह श्री सुरेन्द्रसिंह के पास ही सुरक्षित रखवाया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर एवं परिवादी की शिकायत से सम्बन्धित पत्रावली अलमारी से निकालकर अपने पास सुरक्षित रखी। वक्त 02.15 पी.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री तेजसिंह कोली एवं श्री सुरेन्द्रसिंह मय रिश्वति राशि रखा लिफाफा तथा ब्यूरो जाब्ता श्रीमती मधुमति हैड कानि. नं. 89, श्री भुरसिंह कानि. नं. 23, श्री प्रकाश कानि. 265, श्री गणेश कुमार कानि. नं. 219, श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री अर्जुनसिंह कानि. नं. 319 मय सरकारी वाहन टवेरा नं. आरजे 14 युसी 8906 मय कानि. चालक श्री प्रेमसिंह के साथ मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक ट्रेप सामग्री, कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर, परिवादी की शिकायत से सम्बन्धित पत्रावली, लैपटॉप मय प्रिन्टर के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय भ.निब्यूरो जोधपुर से बिलाड़ा की तरफ रवाना होकर वक्त 03.40 पी.एम. पर पुलिस थाना बिलाड़ा से कुछ दुरी पहले निर्धारित किये गये स्थान पर रूके, जहां पर पूर्व हिदायतानुसार परिवादी श्री पिन्टु अपनी मोटरसाईकिल के साथ उपस्थित मिला। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा समस्त हमरायान एवं परिवादी को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में ब्रीफ किया गया। परिवादी श्री पिन्टु की जामा तलाशी गवाह श्री तेजसिंह कोली से लिवाई जाकर उनके पास उनके मोबाईल के अलावा कोई राशि, वस्तु आदि नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात गवाह श्री सुरेन्द्रसिंह से उनके पास सुरक्षित रखवाये गये रिश्वति राशि के लिफाफे से राशि बाहर निकलवाकर रिश्वति राशि के नोटों को उपर–नीचे करवाकर परिवादी के पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब में रखवाये गये तथा ब्यूरो जाब्ता श्रीमती मधुमति हैड कानि., श्री भुरसिंह कानि., श्री अर्जुनसिंह कानि., मय चालक श्री प्रेमसिंह के आवश्यक हिदायत के साथ वाहन में बिठाकर वाहन को एक तरफ सुरक्षित जगह पर खड़ा करवाया गया। इसके बाद वक्त 03.45 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर आरोपी अधिकारी श्री रामाकिशन सउनि. से रिश्वति राशि लेन–देन करने हेतु बिलाड़ा थाने के लिये रवाना किया तथा मन् निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र गवाहन एवं अन्य ब्यूरो जाब्ता ने पुलिस थाना बिलाड़ा के इर्द–गिर्द अपनी–अपनी पोजीशन लेकर परिवादी के गोपनीय ईशारे का इन्तजार किया। तत्पश्चात वक्त 03.57 पी.एम. पर परिवादी श्री पिन्टु अभिभावक श्री मुकेश जाति साठिया उम्र 19 वर्ष निवासी गांव पिचियाक मुसलमानों का बास, जसवन्तपुरा रोड़ तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर ने पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर कर किया जिस पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस उपरोक्त मौतबिरान एवं समस्त हमरायान ब्यूरो जाप्ता को साथ लेकर पुलिस थाना बिलाड़ा जिला जोधपुर ग्रामीण के पीछे बने बैरिक के सामने पहुंचे जहां पर बैरिक के मुख्य द्वार पर परिवादी श्री पिन्टु उपस्थित मिला। परिवादी पिन्टु से मन् निरीक्षक पुलिस ने कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने अपने पास ही पेन्ट शर्ट पहने हुये खड़े एक व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि यही श्री रामा किशन सहायक उप निरीक्षक पुलिस है जिन्होने अभी अभी बतौर रिश्वत राशि 7000/– रूपये मांगकर उक्त रिश्वति राशि इसी बैरिक में बने कमरे में इनके पलंग के पास पड़े कुलर पर रखे छोटे तौलिया पर रखने को कहा है जिस पर मैंने उक्त रिश्वति राशि 7000/–रूपये श्री रामा किशन सउनि. के कहने पर इसी बैरिक में बने कमरे में इनके पलंग के पास पड़े कुलर पर रखे छोटे तौलिया पर रखी है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना एवं समस्त हमरायान का परिवादी के पास

खड़े व्यक्ति को परिचय देकर उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम श्री रामा किशन पुत्र श्री गुरूराम विश्नोई उम्र 57 वर्ष जाति विश्नोई पेशा नौकरी निवासी ग्राम ठाडिया, तहसील सेखाला, पुलिस थाना चामु जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना बिलाड़ा जिला जोधपुर ग्रामीण होना बताया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री रामा किशन को साथ लेकर समस्त हमरायान के परिवादी के बताये अनुसार बैरिक में बने कमरे में ले जाया गया। जहां पर परिवादी श्री पिन्टु ने कमरे में श्री रामा किशन सउनि के पलंग के पास पड़े कुलर पर रखे छोटे तौलिया की ओर ईशारा कर बताया कि छोटे तोलिये पर रखी यही 7000/–रूपये रिश्वती राशि है, जो मैंने बिलाड़ा पुलिस थाने दर्ज भैस चोरी के मुकदमें का निपटारा कराने एवं मुझे गिरफ्तार नहीं करने की ऐवज में श्री रामाकिशन सउनि ने उक्त रिश्वति राशि मांग कर कुलर पर रखे छोटे तौलिया पर रखवाई है तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री रामा किशन सहायक उप निरीक्षक पुलिस से रूबरू मौतबिरान परिवादी श्री पिन्टु की ओर इशारा कर पूछा गया कि क्या आप इन्हे जानते है तथा इनसे कोई रिश्वती राशि आपने प्राप्त की है या रखवाई है। जिस पर श्री रामा किशन कुछ समय मौन रहकर बताया कि मैं इन्हे जानता हूं। यह पिन्टु है। इसने भैस चोरी के मुकदमें में अपने बचाव के लिये 7000/–रूपये की राशि इस कमरे में मेरे पलंग के पास पड़े कुलर पर रखे छोटे तौलिया पर जबरदस्ती रख दिये है। जिस पर पास ही खड़े परिवादी श्री पिन्टु ने आरोपी श्री रामा किशन स.उ.नि.पु. के उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि मैंने इनके कहने पर ही रिश्वत राशि 7000/–रूपये उक्त कुलर पर रखे छोटे तौलिये पर रखी है तथा साथ ही परिवादी ने बताया कि श्री रामा किशन सउनि. ने मेरे को चोरी के प्रकरण में गिरफ्तार नहीं करने एवं उक्त प्रकरण का निपटारा करने के लिये रिश्वत राशि 7000/–रूपये उक्त कुलर पर रखे छोटे तौलिये पर रखवाये है। जिस पर आरोपी श्री रामा किशन से पुनः रिश्वति राशि के बारे में पुछा तो उसने बताया कि पुलिस थाना बिलाड़ा पर मुकदमा नं. 28/23 अन्तर्गत धारा 379 आईपीसी में दर्ज हो रखा है जिसमें पिचियाक निवासी पिन्टु व उसका भाई संदिग्ध है। मैंने इस मुकदमें का निपटारा करने व इनको इस मुकदमें गिरफ्तार नहीं करने की ऐवज में 7000/–रूपये रिश्वति राशि मांग की थी तथा आज मैंने पिन्टु से पुलिस थाना बिलाड़ा के बैरिक में बने कमरे में मेरे पलंग के पास पड़े कुलर पर रखे छोटे तौलिये पर 7000/–रूपये रिश्वति राशि रखवाई। साहब मेरे से गलती हो गई । तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री रामा किशन के रहने वाले पुलिस थाना बिलाड़ा के बैरिक में बने कमरे में श्री रामा किशन सहायक उप निरीक्षक पुलिस के पलंग के पास पड़े कुलर पर रखे छोटे तौलिया पर रखी रिश्वति राशि गवाह श्री सुरेन्द्रसिंह से उठवाई जाकर गिनवाई गई तो 500–500 रूपये के 14 नोट कुल राशि 7000/–रूपये होना पाये गये। जिस पर गवाह श्री तेजसिंह कोली को पूर्व में मुर्तिबाशुदा फर्द पेशकशी रिश्वती राशि दी जाकर बरामदा रिश्वती राशि के नोटों के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरों से करवाया गया तो नोटो के नम्बर हूबहू होना पाये गये। उक्त भारतीय मुद्रा 7000/–रूपये को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। जिस छोटे तौलिये पर रखी रिश्वती राशि बरामद हुई उक्त छोटे तोलिये का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से उक्त छोटे तौलिया जहां पर रिश्वति राशि रखी हुई थी उस स्थान को मार्क कर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू एक कॉच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो उक्त गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। उक्त तैयार घोल में रिश्वति राशि रखे छोटे तौलिये के मार्क किये गये भाग को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल कर रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितान ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर चस्पा पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों के चस्पे पर मार्क टी–1 व टी–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात उक्त छोटे तौलिया जिस पर से रिश्वति राशि बरामद हुई को पंखे की हवा में सुखाकर एक कपड़े की थैली में डालकर कपड़े की थैली को सिलाई कर उक्त थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर शील्ड मौहर किया गया एवं थैली पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा हस्ताक्षर कर सम्बन्धित गणों के हस्ताक्षर करवाये गये। ततपश्चात आरोपी श्री रामा किशन सहायक उप निरीक्षक पुलिस पुलिस थाना बिलाड़ा की जामा तलाशी गवाह श्री तेजसिंह कोली से लिवाई उनके पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में काले लाल रंग का वीवो कम्पनी का एक मोबाईल फोन मिला जिसके आईएमईआई नम्बर 1. 865939043964157 2. 865939043964140 जिसमें एक एयरटेल कम्पनी की सिम नम्बर 9413574309 होना पाई गई। उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया। इसके अलावा अन्य कोई वस्तु, संदिग्ध राशि नही पाई गई एवं ना ही कब्जा ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात आरोपी श्री रामा

किशन से परिवादी श्री पिन्टु के पैण्डिंग कार्य के सम्बन्ध में पुछा तो आरोपी श्री रामा किशन ने कमरे में रखे लोहे के बक्से पर रखी मुकदमें की पत्रावलियों में से प्रकरण संख्या 28/2023 अन्तर्गत धारा 379 आईपीसी की पत्रावली निकालकर मन् निरीक्षक पुलिस को पेश की। उक्त पत्रावली का मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अवलोकन तो पाया कि उक्त प्रकरण का अनुसंधान श्री रामाकिशन स.उ.नि.पु. द्वारा किया जा रहा है। पत्रावली के केश डायरी नं. 5 दिनांक 05.04.2023 में पिन्टु साठिया व मुकेश साठिया को थाने पर तलब करना, चश्मदीत गवाह श्री धर्माराम का उपस्थित आना तथा उक्त दोनों की एस.एच.ओ. की मौजुदगी में इन दोनों की चश्मदीत गवाह श्री धर्माराम से पहचान करवाना तथा गवाह श्री धर्माराम द्वारा भैस चोरी करने वाला व्यक्ति पिन्टु होना बताया तथा केश डायरी में व्यक्ति के मोबाईल नं. 7976187897 व 8279279475 की कॉल डिटेल व लोकेशन आईन्दा प्राप्त करने का उल्लेख है। थानाधिकारी पुलिस थाना बिलाड़ा को बार–बार तलब करने पर उपस्थित नहीं हुए। जिस कारण प्रकरण संख्या 28/2023 अन्तर्गत धारा 379 आईपीसी की मुल पत्रावली पृष्टांकित करवाकर कब्जा ब्यूरो ली गई। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल का धोवन मुर्तिब की गई। ताबाद वक्त 06.45 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री पिन्टु की निशादेही पर रूबरू मौतबिरान घटना स्थल का निरीक्षण फर्द नक्शा मौका एवं हालात मुर्तिब की गई। तत्पश्चात् वक्त 07.30 पी.एम. पर आरोपी श्री रामा किशन पुत्र श्री गुरूराम विश्नोई उम्र 57 वर्ष जाति विश्नोई पेशा नौकरी निवासी ग्राम ठाडिया, तहसील सेखाला, पुलिस थाना चामु जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना बिलाड़ा जिला जोधपुर ग्रामीण को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। ताबाद वक्त 08.20 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मौके की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के कारण परिवादी को कल दिनांक 13.03.2023 को प्रातः 09.30 ए.एम. ब्यूरो कार्यालय स्पेशल युनिट जोधपुर पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रूखस्त किया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय गिरफ्तार शुदा मुलजिम के समस्त हमरायान व फर्दातनुसार मालखाना आईटम, रिश्वति राशि एवं ट्रेप सामग्री को साथ लेकर मय सरकारी वाहन के पुलिस थाना बिलाड़ा से ब्यूरो चौकी जोधपुर के लिये रवाना होकर ब्यूरो चौकी स्पेशल युनिट जोधपुर पहुंचा। प्रकरण के प्रार्दश बरामदगी स्थल का धोवन की शील्डशुदा शीशीयां मार्क टी–1, टी–2, शील्डाचिट रिश्वति राशि 7000/–रूपये, बरामदगी स्थल छोटे तौलिये की शील्डशुदा कपड़े की थैली एवं आरोपी की जामा तलाशी में मिला काले लाल रंग का वीवो कम्पनी का एक मोबाईल फोन खुली हालत में मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैड कानि. को सुरक्षित हालात में सम्भलाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। दिनांक 13.04.2023 को वक्त 09.50 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री पिन्टु व स्वतन्त्र गवाहान श्री तेजसिंह कोली व श्री सुरेन्द्रसिंह उपस्थित आये। जिस पर वक्त 10.00 ए.एम. पर परिवादी श्री पिन्टु एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री तेजसिंह कोली व श्री सुरेन्द्रसिंह की उपस्थिति में दिनांक 10.04.2023 को परिवादी श्री पिन्टु एवं आरोपी श्री रामा किशन सहायक उप निरीक्षक पुलिस के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन की रूबरू हुई वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर रिकार्डर को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री प्रकाश कानि. नं. 265 द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में परिवादी श्री पिन्टु ने अपनी व श्री रामा किशन की आवाज होने की पहचान की। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन सीडीयां तैयार की। एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में डालकर कपड़े की थैली को शील्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडीयों को डब मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। उक्त तीनो सीडीयों को मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैडकानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। इसके बाद वक्त 11.15 ए.एम. पर परिवादी श्री पिन्टु एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री तेजसिंह कोली व श्री सुरेन्द्रसिंह की उपस्थिति में दिनांक 12.04.2023 को परिवादी श्री पिन्टु एवं आरोपी श्री रामा किशन सहायक उप निरीक्षक पुलिस के मध्य वक्त रिश्वती राशि लेन–देन रूबरू हुई वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त डिजीलट वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर रिकार्डर को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री प्रकाश कानि. नं. 265 द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि लेन–देन तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में परिवादी श्री पिन्टु ने अपनी व श्री रामा किशन की आवाज होने की पहचान की। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद

से तीन सीडीयां तैयार की। एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े थैली में डालकर कपड़े की थैली को शील्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडीयों को डब मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। उक्त तीनो सीडीयों को मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैडकानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई।

अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 10.04.2023 को वक्त रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपी श्री रामाकिशन स.उ.नि. पु. थाना बिलाडा द्वारा पुलिस थाना बिलाडा में भैस चौरी के दर्ज प्रकरण में गिरफ्तार नही करने एवं मुकदमे से बचाने एवं पुलिस द्वारा परेशान नही करने की एवज में 7000/– रूपये रिश्वत की मांग करना पाया गया। जिस पर दिनांक 11.04.2023 को पुलिस निरीक्षक मनीष वैष्णव, हमराह ब्यूरो जाब्ता, स्वतन्त्र गवाह एवं परिवादी पिन्टू के साथ ट्रेप का आयोजन करने हेतु बिलाड़ा गये लेकिन संदिग्ध अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने से ट्रेप कार्यवाही संभव न हो सकी जिस पर आईन्दा ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 12.04.2023 को पुनः रूबरू मौतबिरान के ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री रामा किशन स.उ.नि.पु ने पुलिस थाना बिलाड़ा पर दर्ज मुकदमा नं. 28/23 अन्तर्गत धारा 379 आईपीसी में पिचियाक निवासी पिन्टु व उसका भाई संदिग्ध होने से, इस मुकदमें का निपटारा करने व इनको इस मुकदमें में पुलिस द्वारा परेशान नही करने एवं गिरफ्तार नहीं करने की ऐवज में 7000/–रूपये रिश्वति राशि मांग कर परिवादी से पुछना की राशि कितनी लाये हो, परिवादी द्वारा सात का बताये जाने पर आरोपी द्वारा उक्त राशि को परिवादी पिन्टु से पुलिस थाना बिलाड़ा के बैरिक में बने कमरे में अपने पलंग के पास पड़े कुलर पर रखे छोटे तौलिये पर 7000/–रूपये रखवाना, परिवादी द्वारा आरोपी से उक्त राशि गिनने बाबत कहने पर आरोपी द्वारा बाद में लेकर गिनने को कहना। आरोपी द्वारा कुलर पर रखे छोटे तौलिये पर रखवाई राशि को ब्यूरो द्वारा बरामद करना, रिश्वति राशि रखे छोटे तौलिये का विधिवत धोवन लेने पर धोवन का रंग गहरा गुलाबी आना, इत्यादि तथ्यो से आरोपी श्री रामाकिशन पुत्र श्री गुरूराम विश्नोई उम्र 57 वर्ष जाति विश्नोई पेशा नौकरी निवासी ग्राम ठाडिया, तहसील सेखाला, पुलिस थाना चामु जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना बिलाड़ा जिला जोधपुर ग्रामीण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 प्रथम दृष्टया कारित करना प्रमाणित पाया गया है।

सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री रामा किशन पुत्र श्री गुरूराम विश्नोई अंकित किया गया है जो वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी से उनके पहचान के तौर पर आधार कार्ड आदि चाहने पर आरोपी द्वारा कमरे की अलमारी में रखा आधार कार्ड एवं उनके विभागीय फोटो पहचान पत्र की फोटो प्रतियां उपलब्ध करवाई जिसके अनुसार सम्पूर्ण कार्यवाही में श्री रामा किशन पुत्र श्री गुरूराम विश्नोई अंकित किया गया। जबकि दिनांक 13.04.2023 को श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण से आरोपी का सेवा विवरण प्राप्त किया गया। जिसमें आरोपी का नाम श्री रामकिशन विश्नोई पुत्र श्री गुडूराम विश्नोई अंकित है।

अतः आरोपी श्री रामकिशन विश्नोई पुत्र श्री गुडूराम विश्नोई उम्र 57 वर्ष जाति विश्नोई पेशा नौकरी निवासी ग्राम ठाडिया, तहसील सेखाला, पुलिस थाना चामु जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना बिलाड़ा जिला जोधपुर ग्रामीण के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

भवदीय

(मनीष वैष्णव)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट, जोधपुर
स्पेशल यूनिट जोधपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मनीष वैष्णव, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री रामकिशन विश्नोई पुत्र श्री गुड़ूराम विश्नोई निवासी ग्राम ठाडिया, तहसील सेखाला, पुलिस थाना चामु जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना बिलाड़ा जिला जोधपुर ग्रामीण के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 85/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

13/4/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 671-74 दिनांक 13.04.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण रातानाडा, जोधपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतितिरक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., जोधपुर।

13/4/23

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।